प्रेषक,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक
पंचायतीराज, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक – मई, 2026

विषयः– **ग्रीष्मकाल में लू (Heat Wave) से बचाव हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व तैयारी के संबंध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रदेश में अत्यधिक तापमान वृद्धि एवं लू (Heat Wave) की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है, जिसके फलस्वरूप जन–जीवन, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।

2– ग्रामीण जन–जीवन को उक्त स्थिति से बचाव हेतु पंचायतों को प्राप्त होने वाले अनुदान 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत, अस्थायी पेयजल आपूर्ति (टैंकर), श्रमिकों हेतु छाया (Shade) एवं विश्राम व्यवस्था आदि कार्यों में किया जा सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक जनसुविधाओं जैसे– सार्वजनिक स्थलों पर छाया एवं अन्य तात्कालिक आवश्यक व्यवस्थाओं मुख्यतः पेयजल उपलब्धता, जलस्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता तथा जलापूर्ति से संबंधित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण/मरम्मत आदि का कार्य किया जाए, जिससे उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीष्मकाल में अत्यधिक तापमान एवं लू (Heat Wave) से बचाव हेतु निम्नानुसार तैयारी सुनिश्चित किया जाएः–

1. हैण्डपम्पों को प्रत्येक दशा में क्रियाशील रखा जाय। आंशिक मरम्मत की आवश्यकता वाले हैण्डपम्प तत्काल मरम्मत कराये जाये तथा रिबोर किये जाने योग्य हैण्डपम्प का रिबोर कराया जाये।
2. ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर पाइप पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन में सतत् पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाये।
3. जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सतत् पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
4. पंचायत भवन/विद्यालयों में गर्मी की तीव्रता अवरोधी कार्य कराये जायें।
5. आशा/आंगनवाड़ी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।

आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ
13/5/26

संयुक्त विकास आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।

उप निदेशक (पंचायत)
21-5-2026

6. पशु एवं पक्षियों के पेयजल हेतु ग्राम के प्रमुख तालाबों एवं जल स्रोतों में पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
7. आपातकालीन स्थिति में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हेतु पूर्व से ही योजना तैयार रखी जाय।
8. कार्यस्थल पर छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करायी जाये ताकि भीषण गर्मी में लू–प्रकोप (Heat Wave) से बचाव किया जा सके।
9. स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान वृद्धि एवं लू (Heat Wave) से बचाव हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 13-05-2026
11:05:59

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक :– तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कौशल विकास मिशन, ग्राम्य विकास, शिक्षा, गृह एवं गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

Digitally signed by
RAJESH KUMAR TYAGI
Date: 13-05-2026
13:57:01

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव